LOK SABHA

Thursday, March 12, 1970/Phalguna 21,1891 (SAKA)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Panel of Telephone Supervisors for Promotion to Telegraph Engineering Service Class II

*391. SHRI ISHAQ SAMBHALI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a list for promotion of Telephone Supervisors who had passed the Departmental Examination to Telegraph Engineering Survice class II was drawn up as a result of the Departmental Promotion Committee's discussion in January, 1968 ;

(b) if so, the number of persons included in the List, Circle-wise who had since been promoted to Telegraph Engineering Service Class II ; and

(c) whether the List is being now scrapped and a new Departmental promotion Committee is being formed if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SING) : (a) Yes Sir.

(b) 238 persons in the list were promoted on a long term basis. Telegraph Engineering Service Class II is an all-India Service and not a Circle service and so no circle-wise list is drawn up.

(c) The validity of the list expired on 31-7-69. According to the general policy laid down by Government, a select list remains normally operative only for one year. In any case, it ceases to be inforce on the expiration of a period of 1 year and 6 months or when a fresh list is prepared, whichever is earlier. The select list referred to thus ceased to be valid on the expiry of 1 year and 6 months. A fresh Departmental promotion Committee is expected to be convened shortly.

श्री इसहाक सामभली : स्पीकर साहाब, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो लिस्ट तैयार की गई थी, क्या सीनियारिटी के मुताबिक तैयार की गई थी या किस बेस पर तैयार की गई थी ?

दूसरा सवाल – जब यह लिस्ट तैयार की गई थी क्या इसके खिलाफ आपके पास कोई रिप्रेजेन्टेशन आया ? अगर आया, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

[اِسحاق سمبھلی: سپیکر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی یہ جو لسٹ تیار کیگئی تھی کیا سینیورٹی کے مطابق تیار کیگئی تھی یا کس بیس پر تیار کیگئی تھی۔

دوسرا سوال:-جب یہ لسٹ تیار کیگئی تھی کیا اسکے خلاف آپکے پاس کوئی ریپریزنٹیشن آیا؟ اگر آیا تو اُسپر کیا کاروائی کیگئی؟]

श्री शेर सिंह : पहले एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा का जो नतीजा निकलता है, जो उसमें पास होते है या क्वालीफाई करते हैं, उनकी लिस्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के पास भेजी जाती है । डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी उनमें से

सिलेक्ट कर के लिस्ट तैयार करती है। इसका आधार एक्जामिनेशन और डी. पी. सी. है। 1968 में जब यह लिस्ट बनी थी, इसके खिलाफ कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया।

श्री इसहाक साम्भली : क्या यह सही है कि वह सूचि जो उस कमेटी ने तैयार की थी, 1967 में इसका आधार कुछ और था, लेकिन 1968 में उसका आधार कुछ और कर दिया गया। स्पीकर साहब मुझे ताज्जुब है कि मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला, यह रिप्रेजेन्टेशन 10-5-1968 को उन्हें भेजा गया था।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है कि एक्जामिनेशन के रिजल्ट के बुनियाद पर लिस्ट बनती है तो हर मर्तबा उसका आधार क्यों बदलते रहते है ?

[اِسحاق سمبھلی:- کیا یہ صحیح ہے کہ وہ سوچی جو اِس کمیٹی نے تیار کی تھی 1967 میں اِسکا آدھار کچھ اور تھا لیکن 1968 میں اِسکا آدھار کچھ اور کر دیا گیا سپیکر صاحب مجھے تعجب ہے کہ منسٹر صاحب کو رپریزنٹیشن نہیں ملا۔یہ رپریزنٹیشن 10-5-1968 کو اُنہیں بھیجا گیا تھا۔

میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ایگزامینشن کے ریذلٹ کی بنیاد پر لسٹ بنتی ہے تو ہر مرتبہ اُسکا آدھار کیوں بدلتے رہتے ہیں ؟]

श्री शेर सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि केवल रिजल्ट के बेसिज पर लिस्ट बनती है। एग्जामिनेशन होता है, उनका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद उनका नाम डी. पी. सी. को भेजा जाता है। डी. पी. सी. के अन्दर कमीशन का भी एक मेम्बर होता है। डी. पी. सी. उनका रिकार्ड भी देखती है और सब चीजों को देखने के बाद लिस्ट बनती है।

श्री इसहाक साम्भली : क्या यह सही हैं जो लिस्ट तैयार की गई थी, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा गल्तियां थी, इस लिये वे सब लोग एबजार्ब नहीं किये गये, बाकियों को छोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ, स्पीकर साहब, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो क्वालीफाइड लोग थे, उनको ड्राप कर दिया गया और जो अनक्वालीफाइड थे उनको ले लिया गया। अनक्वालीफाईड लोगों से टेलीफोन का काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज उसमें इतनी खराबियां आ रही हैं।

जो साहबान पिछली लिस्ट के क्वालीफाइड रह गये हैं, अब जो नई लिस्ट बनेगी क्या उसमें उनको प्रायोरिटी दी जायेगी ?

[اِسحاق سمبھلی :- کیا یہ صحیح ہے کے کہ جو لسٹ تیار کیگئی تھی چونکہ اسمیں بہت زیادہ غلطیاں نہیں اسلئے وے سب لوگ ایبزورب نہیں کئے گئے۔باقیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا۔سپیکر صاحب آپکو سنکر تعجب ہوگا۔جو کوالیفائڈ لوگ تھے اُنکو ڈراپ کر دیا گیا اور جو انکوالیفائڈ تھے اُنکو لیلیا گیا۔انکوالیفائڈ لوگوں سے ٹیلیفون کا کام لیا جارہاہے جسکی وجہ سے آج اسمیں اتنی خرابیاں آرہی ہیں۔ جو صاحبان پچھلی لسٹ کے کوالیفائڈ رہ گئے ہیں اب جو نئی لسٹ بنیگی کیا اِسمیں انکو پرایورٹی دی جائیگی ؟]

श्री शेर सिंह : जिन लोगों ने क्वालीफाई किया और जो उस लिस्ट में थे, उनमें से किसी को ड्राप नहीं किया गया, जैसे-जैसे वेकेन्सीज आई उनको लिया जाता रहा। जैसा मैंने कहा हैं–300 की लिस्ट बनी थी, उनमें से 238 को एबजार्ब किया गया। जैसे जैसे लोंग-टर्म वेकेन्सी निकलती रहीं, उनमें से लोगों को लगाते रहे।

जब डेढ़ साल गुजर गया तो उसके बाद जो एक-आध शार्ट टर्म वैकेन्सी निकली, सीनियारिटी-कम-फिटनस के बेसेज पर कुछ लोगों को मौका दिया गया ।

श्री इसहाक सम्भली : मैंने अर्ज किया था कि जो साहबान बाकी रह गये है, क्या उनको नई लिस्ट में प्रायोरिटी देंगे ?

[اسحاق سمبھلی: میں نے عرض کیا تھا کہ جو صاحبان باقی رہ گئے ھیں کیا ان کو نئی لسٹ میں پرایورٹی دینگے ؟]

श्री शेर सिंह : जो लोग बाकी रह गये है, जब नई डी. पी. सी. बैठेगी, उसमें उनके केसेज को फिर कन्सीडर किया जायगा ।

श्री प. ला. बारूपाल : क्या यह सही है कि उन्नति दिये जानेवाले सुपरवाइजरों के नाम विभिन्न सर्कलों को भेजे गये थे ? क्या वे सब उन्नति पा चुके हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

दूसरा सवाल – क्या ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि बनाई गई लिस्ट का कुछ भाग रद्द कर दिया गया था ?

क्या यह सच है कि कुछ जगहों को पहली क्लास के अधिकारियों से पूरा किया गया है जिसके कारण दूसरी क्लास के अधिकारियों के लिये निर्धारित पदों में कमी की गई है ?

श्री शेर सिंह : सर्कलों में जो नाम भेजे गये उनमें से किसी का नाम लिस्ट में से नहीं काटा गया । जैसे जैसे लांग-टर्म वैकेन्सीज निकलती रहीं, उनको एवजाबं किया जाता रहा । इसमें किसी का नाम काटने का प्रश्न ही नहीं था ।

SHRI S. M. BANERJEE ; After the September, 1968 strike, those employees who had participated in it, whether belonging to the telephone or telegraph or postal side, were not considered for promotion because there was a break in service, and absence during September, 1968 strike was considered to be a break in service. Now that the Government of India have condoned the break in service and treated it as *dies-non*, may I know from the hon. Minister whether the case of those employees will be considered favourably now? I am happy that recently in the Delhi Telephone District, the claims of those who had been superseded have been considered again. I would like to know whether the cases of those employees also will be reconsidered by the DPC.

SHRI SHER SINGH : The DPC considered only those cases which were brought before them after the examination held in August, 1968. Now that the break in service has been condoned, for future purposes there will be no such disqualification and they will be allowed to sit in the examination.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA) : I have followed what the hon. Member wants to know. He has raised the question of policy. There is no doubt about it. We shall certainly consider it.

श्री राम सेवक यादव : जो विभागीय सूची पदोन्नति के लिये बनी है, क्या उनमें पर्याप्त मात्रा में, संख्या के आधार पर, हरिजनों और आदिवासियों को जगह मिली है ? यदि नहीं मिली है तो क्या उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान देने के बारे में सरकार सोच रही है ?

SHRI SHER SINGH : I want notice of the question. I connot offhand say how many of them have been absorbed.

श्री मधु लिमये : इन्होंने तफसील की बात नहीं पूछी है । ये तो नीति की बात पूछ रहे है ।

MR. SPEAKER : The main question relates only to the list prepared.

श्री राम सेवक यादव : पदोन्नति जो हुई हैं उनने हरिजनों ग्रौर आदिवासियों के लिये स्थान सुरक्षित रखा गया हैं या नहीं – जब हमारी यह नीति है कि उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायं तो मैं जानना चाहता हूं कि उस नीति का कहां तक पालन किया गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जो प्रमोशन्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं ग्राती है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, कई बार मेने सुना है कि पदोन्नति के समय भी इसका ध्यान रखा जायेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी नीति बनाई है?

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी तो कोई ऐसी नीति नहीं है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या यह सच है कि ए ग्रेड की जगहों पर बी ग्रेड के कर्मचारी काम कर रहें हैं और उसी की वजह से ग्राज उनके कामों में रुकावटें आ रहो हैं? इसका क्या कारण ?

श्री शेर सिंह : कहां काम कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) . .

श्री इसहाक सम्भली : ग्रध्यक्ष महोदय, जो क्वालिफाइड थे उनको ड्राप किया गया उसी का नतीजा है कि ए ग्रेड की जगह पर बी ग्रेड वाले काम कर रहे हैं। . . (**व्यवधान**) . . .

[اِسحاق سمبھلی: ادھیکس مہودے
جو کوالی فائڈ تھے اُنکو ڈراپ کیا
کیا اسکا نتیجہ ھے کہ اے گریڈ کی
جگہ پر بی گریڈ والے کام کررھے
ھیں—(ویو دھان)]

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य की नालेज में ग्रगर ऐसी कोई जगह है–में तो नहीं कह सकता लेकिन ग्रगर ऐसे कोई केसेज हैं तो उनको जरूर देखा जायेगा और ग्रगर कोई गलती हुई है तो उसको दूर किया जायेगा।

SHRI BASUMATARI : The hon. Minister has said that so far as the scheduled castes and scheduled tribes are concerned, there is no reservation in promotion. It is a fact that in direct recruitment also, candidates of the scheduled castes and scheduled tribes are not accepted as suitable and hence the reservation is not filled. When this question was raised with the Home Ministry, they took it up and issued a circular to all departments to consider reservation for these communities in promotion also. Has this Ministry received that circular, and if so, what is its reaction? Government say that they want to take members of the scheduled castes and scheduled tribes into the services, but all the time we find that in practice this is not implemented. So what do they mean by saying this? It is a contradiction.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : So far as direct recruitment is concerned, there is reservation. As regards the circular mentioned by the hon. Member, I have not seen it. So far as promotion is concerned, at present the policy is that there is no reservation.

Enquiry Commission for abolition of Contract system in Coal Mines

*392. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI UMANATH :
SHRI SATYA NARAYAN SINGH :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of LOBOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the one-man enquiry commission set up under the Chairmanship of Shri B. N. Banerjee for the abolition of contract system in Coal Mines has submitted its report ;

(b) if so, the details of the report ;